सीबीआई प्रकरण : संदिग्ध है सीवीसी चीफ की भूमिका, वर्मा के घर जाकर चौधरी ने की थी अस्थाना के खिलाफ टिप्पणी को हटाने की गुजारिश

जनचौक ब्यूरो

नई दिल्ली। पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जिसके मुताबिक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर केवी चौधरी ने वर्मा से उनके घर पर जाकर उनसे सीबीआई के डिप्टी राकेश अस्थाना की एसीआर रिपोर्ट से विपरीत टिप्पणी को हटाने की गुजारिश की थी।

रिटायर्ड जस्टिस एके पटनायक के नजदीक सूत्रों ने दि वायर को बताया कि चौधरी जनपथ पर स्थित वर्मा के घर गए और उन्होंने उनको ये भरोसा दिलाते हुए कि अगर पूर्व निदेशक इसको करते हैं तो "सब कुछ ठीक हो जाएगा" और फिर ये अप्रत्याशित गुजारिश की।

वर्मा ने इस बैठक का पूरा विवरण जस्टिस पटनायक को मुहैया कराया था।

चौधरी का वर्मा के पास निवेदन उस समय आया था जब सीबीआई के भीतर अस्थाना और वर्मा के बीच जंग छिड़ी हुई थी। और वर्मा ने कोयला घोटाले के एक आरोपी और पीएमओ के उच्च नौकरशाह भास्कर खुल्बे के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की थी जिसका अस्थाना विरोध कर रहे थे।

सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश अपनी सभी रिपोर्टों में- जो बाद में आखिरी तौर पर वर्मा के हटाए जाने का आधार बनीं- चौधरी ने अस्थाना की तरफ से किए गए अपने इन प्रयासों का कभी जिक्र नहीं किया।

ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीवीसी की नकारात्मक रिपोर्ट अस्थाना द्वारा मुहैया कराए गए इनपुट पर आधारित थी।

शनिवार को जस्टिस पटनायक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि "भ्रष्टाचार को लेकर वर्मा के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। पूरी जांच अस्थाना की शिकायत के आधार पर हुई है। और मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सीवीसी रिपोर्ट की फाइंडिंग में मेरा कुछ भी नहीं है।"

दि वायर को इस बात की जानकारी मिली है कि वर्मा ने जस्टिस पटनायक के सामने अपना लिखित पक्ष पेश किया था जिसमें उन्होंने इस बैठक का पूरा विवरण दिया था। चौधरी चाहते थे कि वर्मा अस्थाना की एसीआर में जिस नतीजे पर पहुंच थे- ये कि वो एक संदेहास्पद अफसर हैं- उसे बदल दें।

सामान्य तौर पर एक अफसर के एसीआर में विपरीत टिप्पणी उसके प्रमोशन के लिए बाधक बन जाती है और सीबीआई निदेशक जैसे संवेदनशील पदों के मामलों में तो बिल्कुल ही लागू होती है।

वर्मा के खिलाफ अस्थाना का सीवीसी में शिकायत का सिलसिला वर्मा द्वारा अस्थाना के खिलाफ विपरीत टिप्पणी करने के बाद शुरू हुआ। उसके बाद अस्थाना की शिकायत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई का आधार बनी।

जस्टिस पटनायक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सीवीसी की पूरी रिपोर्ट उस अस्थाना की शिकायत के आधार पर बनायी गयी है जिसके खिलाफ खुद सीबीआई में छह मामले चल रहे हैं।

ये तथ्य कि चौधरी खुद अस्थाना की तरफ से वर्मा से मुलाकात किए थे इस पूरे मामले में सीवीसी चीफ की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ जाती है। ये बात अभी तक नहीं पता चल सकी है कि सीवीसी को अस्थाना की तरफ से मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा था लेकिन सीबीआई के अधिकारी इस बात को चिन्हित करते हैं कि एजेंसी द्वारा पीएमओ के अफसर की भूमिका की जांच ने सरकार के ऊपरी खेमे में कैसे हलचल पैदा कर दी थी।

वर्मा के पक्ष में चौधरी ने पहली बार बैटिंग नहीं की थी। इसके पहले जब सीबीआई में अस्थाना की स्पेशल डायरेक्टर पद पर नियुक्ति हो रही थी उस समय जब वर्मा ने उस पर सवालिया निशान खड़ा किया था तब भी बताया जाता है कि पीएमओ में कार्यरत नौकरशाह पीके मिश्रा ने चौधरी को बुलाकर उन्हें अस्थाना की नियुक्ति को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। बाद में अक्तूबर 2018 में जब सीबीआई ने अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया तो सीवीसी ने प्रक्रिया का मुद्दा उठाया। इकोनामिक टाइम्स के मुताबिक चौधरी ने कहा था कि "अगर एजेंसी अस्थाना के खिलाफ कोई जांच का कदम उठाती है तो उसे सेक्शन-17 के तहत सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। फिर एजेंसी द्वारा कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गयी।" और सेक्शन 13 (1) (डी) के भ्रष्टाचार निरोधक कानून के जिस एक्ट के तहत अस्थाना के खिलाफ कार्रवाई की गयी है उसे जुलाई में ही बदल दिया गया है।

इस तरह से सीवीसी चीफ खुद विवादों के घेरे में आ गए हैं। उनका नाम पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा की विजिटर डायरी विवाद में भी सामने आया था। सीवीसी चीफ नियुक्त किए जाने के बाद चौधरी को व्यवसायी निखिल मर्चेंट के दफ्तर में देखा गया था जिसे पीएम का बहुत करीबी माना जाता है।

मोदी सरकार, आलोक वर्मा को 20 दिन भी झेलने की स्थिति में क्यों नही थी ?

जिस दिन रातोंरात वर्मा को CBI प्रमुख के पद से हटाया गया तब उनके पास 7 महत्वपूर्ण मामलों की फ़ाइलें थीं.

1- राफेल सौदे की फाइल : आलोक वर्मा को चार अक्टूबर को भाजपा नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने 132 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी. वर्मा राफेल सौदे की फाइल मंगाने के लिए रक्षा सचिव संजय मित्रा को चिट्ठी लिख चुके थे. सरकार चाहती थी वर्मा यह चिट्ठी वापस ले लें.

2- एमसीआई केस : यह मामला राफेल से भी बड़ा साबित हो सकता था. देश के न्यायतंत्र से जुड़े कई उच्च स्तरीय लोग इससे जुड़े थे. इस भ्रष्टाचार में इन लोगों की भूमिका की जांच चल रही थी. इसमें उड़ीसा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आईएम कुद्दुसी का भी नाम शामिल है. कुद्दुसी के खिलाफ चार्जशीट तैयारी कर ली गई थी और उन पर अलोक वर्मा के दस्तख़त होने बाकी थे.

3- न्यायाधीश एसएन शुक्ला केस

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शुक्ला जी को मेडिकल सीटों पर एडमिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते छुट्टी पर भेज दिया गया था. इस मामले में प्राथमिक जांच पूरी कर ली गई थी और सिर्फ़ आलोक वर्मा के हस्ताक्षर की ज़रूरत थी.

4- वित्त एवं राजस्व सचिव हंसमुख अधिया केस

एक और मामले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के सीबीआई को सौंपे वो दस्तावेज़ शामिल हैं जिनमें उन्होंने वित्त एवं राजस्व सचिव हंसमुख अधिया के खिलाफ़ शिकायत की है.

5- कोयले की खदानों का आवंटन मामला

कोयले की खदानों के आवंटन मामले में प्रधानमंत्री के सचिव आईएएस अधिकारी भास्कर खुलबे की संदिग्ध भूमिका की जांच की जा रही थी. यह फाइल भी आलोक वर्मा के दफ्तर में थी.

6- नौकरी में रिश्वत का मामला

नौकरी के लिए नेताओं और अधिकारियों को रिश्वत देने के संदेह में दिल्ली आधारित एक बिचौलिए के घर पर छापा मारा गया था. इस मामले की भी जांच चल रही है.

7- संदेसरा और स्टर्लिंग बायोटेक मामला

इसमें सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की कथित भूमिका की जांच की जा रही थी. करीब एक साल से निदेशक वर्मा और विशेष निदेशक अस्थाना के बीच विवाद चल रहा है. ऐसे में यह फाइल बेहद महत्वपूर्ण थी.

प्रशांत भूषण ने साफ साफ कहा था कि 'वर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई का एकमात्र मकसद राफेल घोटाले की जांच को रोकना है

सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि 'आलोक वर्मा ईमानदार जबकि राकेश अस्थाना एक भ्रष्ट अधिकारी हैं'. स्वामी से जब यह पूछा गया कि यह आप कैसे कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि वह बिना सुबूतों के कोई बात नही कहते हैं.

स्पष्ट है कि मोदी सरकार से आलोक वर्मा को 20 दिन भी झेलने की स्थिति में नही थी, क्योंकि उनकी सारी पोलपट्टी खुलने का उसे डर बना हुआ था इसलिए आनन फानन में आलोक वर्मा को सीबीआई प्रमुख के पद से हटा दिया गया.

सबरीमाला मंदिर में अयप्पा के सबसे पहले दर्शन करने वाली कनकदुर्गा को ससुरालियों ने पीटा, पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती

जनज्वार

2 जनवरी को सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने वाली 39 वर्षीय कनकदुर्गा लगभग 2 हफ्ते बाद अपने घर पहुंची तो सास ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया।

पिछले दिनों बिंदु और कनकदुर्गा नाम की दो महिलाएं खबरों की सुर्खियां बनी हुई थीं। कारण था कि ये वो महिलाएं थीं जिन्होंने महिलाओं के लिए वर्जित सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर इतिहास बदला था।

अब इन्हीं दो महिलाओं में से एक कनकदुर्गा फिर एक बार खबरों में हैं। इस बार कारण कोई इतिहास बदलना नहीं, बल्कि घरेलू उत्पीड़न और मारपीट का शिकार होना है।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 2 जनवरी को सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने वाली 39 वर्षीय कनकदुर्गा लगभग 2 हफ्ते बाद अपने घर पहुंची तो आज मंगलवार 15 जनवरी को उनकी सास ने उन पर हमला कर दिया। सास ने उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट और अचानक हमला किया कि कनकदुर्गा संभल नहीं पाई। गंभीर रूप से चोटिल कनकदुर्गा को पुलिस के पास सूचना पहुंचने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हालांकि अभी तक सास ने कनकदुर्गा को क्यों पीटा इसके कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। मगर माना जा रहा है कि मंदिर में भगवान अयप्पा के प्रवेश को लेकर उनकी सास भी उनसे इतनी ज्यादा क्रोधित थीं कि उन्हें सामने पा वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाईं और उन पर जानलेवा हमला कर दिया।

गौरतलब है कि अब तक सबरीमाला मंदिर में रजस्वला उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2 महिलाओं ने जबरन मंदिर में प्रवेश किया था। हालांकि उसके बाद से ये महिलाएं लगातार हिंदुवादियों के निशाने पर थीं और इन्हें धमकियां मिल रहीं थीं। इसी डर से ये दोनों महिलाएं अब तक अपने घर नहीं लौटी थीं।

गौरतलब है कि मंदिर में प्रवेश के बाद हिंदुत्ववादी ताकतों से धमकियां मिलने की खबरों का 40 वर्षीय बिंदू और 39 साल की कनकदुर्गा ने यह कहते हुए खंडन किया था कि वह घर से दूर इसलिए रहीं ताकि स्थितियां सामान्य हो जाएं।

मीडिया में केरल के कोझिकोड की बिंदू और मलप्पुरम जिले की कनकदुर्गा तब छा गई थीं जब उन्होंने 2 जनवरी को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश किया था। 2 जनवरी को भगवान अयप्पा के दर्शन कर इन दो महिलाओं ने 800 साल पुरानी प्रथा को तोड़ा था। दोनों ने मंदिर में पूजा—अर्चना भी की थी। इसके बाद पूरे राज्य में हिंदुवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किये, साथ ही मंदिर का शुद्धीकरण भी किया गया था।

पिछले साल 28 सितंबर को अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में भगवान अयप्पा के मंदिर में हर उम्र की महिला को प्रवेश की इजाजत दी थी। इस फैसले के खिलाफ केरल के राजपरिवार और मंदिर के मुख्य पुजारियों समेत कई हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हालांकि, अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। इससे पहले यहां 10 से 50 साल उम्र की महिला के प्रवेश पर रोक थी।

मीडिया में आ रही रिपोर्टों के मुताबिक अब तक तकरीबन 10 महिलाएं सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के दर्शन कर चुकी हैं। दूसरी तरफ भाजपा और हिंदू संगठनों का मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ विरोध—प्रदर्शन अभी जारी है, जो लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि रजस्वला महिलाओं—लड़कियों को किसी भी हाल में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

संस्थाओं में भ्रष्ट अफसरों को बैठाना और गर्दन पकड़ कर उनसे मनमानी फैसले करवाना मोदी की मोडस आपरेंडी का हिस्सा है!

जनचौक ब्यूरो

सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और जस्टिस सीकरी प्रकरण ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली को बेपर्दा कर दिया है। नरेंद्र मोदी पिछले तकरीबन 16 सालों से सत्ता में हैं। इसमें उनका एक बड़ा समय गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते बीता है। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक नौकरशाही के मामले में उनका जो तरीका रहा है वो कमोवेश एक है। मोदी-शाह जोड़ी की मोडस आपरेंडी का प्रमुख सूत्र है किसी भी संस्था के शीर्ष पर भ्रष्ट अफसर को बैठाना और फिर उससे मन मुताबिक काम लेना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी ईमानदार अफसर समझौते नहीं करता है और न ही वो कोई ऐसा गलत काम करना चाहेगा जो नियम, कानून और संविधान के विपरीत हो। और न ही उसकी किसी दूसरे को छूट देगा।

लेकिन मोदी को चाहिए एक ऐसा अफसर जो न केवल उनकी तात्कालिक जरूरतों के मुताबिक काम करे बल्कि जरूरत पड़ने पर कानून और संविधान को भी ताक पर रखने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे में कोई भी ईमानदार अफसर इस खांचे में फिट नहीं बैठता है। यही वजह है कि पूरे शासनकाल के दौरान उनकी टीम में शायद ही कोई ईमानदार अफसर दिखा हो जो इनकी पसंद का हो । अगर अपवाद स्वरूप कोई इनकी टीम में रहा भी तो बाद में उसे अलग हो जाना पड़ा।

इतना ही नहीं जो ईमानदार अफसर कई बार उनके रास्ते का रोड़ा बने तो उन्हें अपनी उस ईमानदारी की सजा भी भुगतनी पड़ी। वो चाहे गुजरात में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और राहुल शर्मा रहे हों या फिर आईपीएस रजनीश राय रहे हों जिन्होंने पहली बार डीजी वंजारा एंड कंपनी को गिरफ्तार किया था। गुजरात में ईमानदारी की सजा भुगतने वाले इस तरह के तकरीबन 20 से ज्यादा बड़े अफसर होंगे। इनमें से कुछ तो मजबूरन अपनी नौकरी छोड़ गए। कुछ को बर्खास्त कर दिया गया। और बचे हुए अब भी परेशान हैं। हालांकि जिन्होंने इनका खुलकर साथ दिया ऐसा नहीं है कि उनका जीवन बहुत अच्छा बीता। उनमें से बहुत अफसरों को जेल जाने समेत कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि सत्ता के संरक्षण और दूसरी तरह के दांव पेंचों के जरिये उन्हें बचा लिया गया और साथ ही बाद में सत्ता के दूसरे अतिरिक्त लाभों से नवाजा गया।

मोदी और शाह जानते हैं कि संस्था के शीर्ष पर बैठे भ्रष्ट अफसर से उसकी गर्दन पकड़ कर काम लिया जा सकता है। और सत्ता के इशारे पर काम करना उसकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि ऐसा नहीं होने पर उसके खिलाफ मामले को आगे बढ़ाना आसान रहता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मोदी ने आलोक वर्मा और उर्जित पटेल जैसे लोगों को शीर्ष पदों पर बैठाया। लेकिन अलोक इशारे पर काम करने के लिए राजी नहीं हुए। उसी तरह से उर्जित पटेल भी आरबीआई के हितों के खिलाफ जाने के लिए नहीं तैयार हुए। लिहाजा एन-केन प्रकारेण दोनों को हटाया गया। जबकि दोनों इन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए थे। यही वजह है कि बाद में तमाम विरोधों के बाद भी सीबीआई में राकेश अस्थाना जैसे भ्रष्ट अफसर की नियुक्ति करायी गयी जिससे वहां अपने मुताबिक चीजों को संचालित किया जाए सके।

सीवीसी के मुखिया केवी चौधरी की नियुक्ति भी इसी कटेगरी में आती है। उनके खिलाफ कई ऐसे मामले हैं जिनमें उन्हें अपने पद से समझौता करते पाया गया था। पूर्व सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा की डायरी में उनका नाम आया था। और बताया जाता है कि मीट व्यापारी मोईन कुरेशी को सिन्हा से मिलवाने का काम उन्होंने ही किया था। नीरा राडिया प्रकरण के दाग से भी चौधरी नहीं बच पाए थे। चौधरी पहले शख्स हैं जो सीवीसी के चीफ पर नियुक्त होने वाले गैर आईएएस अधिकारी हैं। वो रेवेन्यू सर्विसेज कैडर से आए हैं। अनायास नहीं उनकी नियुक्ति के समय वरिष्ठ वकील जेठमलानी ने कहा था कि ये सबसे बड़ी आपदा है जो देश के ऊपर गिरने जा रही है। आज जेठमलानी की बात पूरी सच साबित हो रही है। पूरे देश ने इस बात को देखा कि चौधरी किस तरह से आलोक वर्मा जैसे ईमानदार अफसर को बाहर कराने में सत्ता का सबसे मजबूत हथियार साबित हुए।

इसी तरह से न्यायपालिका में भी इस जोड़ी ने पिछले चीफ जस्टिस के कार्यकाल में अपने इसी "सिद्धांत" का पालन किया था। और कहा जाता है कि पूर्व चीफ जस्टिस मिश्रा के खिलाफ एक मामले को पकड़ कर उनसे मनमुताबिक फैसले करवाये। हालांकि शुरुआत में मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में माना जा रहा था कि सरकार के लिए उन्हें साध पाना मुश्किल होगा। लेकिन नियुक्ति के बाद से ही उनके कामकाज को लेकर अंगुलियां उठनी शुरू हो गयी थीं। कई बेहद महत्वपूर्ण मामलों पर उनका रवैया लोगों की आशा के बिल्कुल विपरीत रहा। इस पूरे दौरान सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी अपने पूरे वजूद के साथ खड़ा नहीं दिखा। ऐसे में लोगों का सवाल उठना लाजमी है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। इस तरह के कई सवाल हैं जिनके उत्तर आने अभी बाकी हैं।